



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2016/भाद्र 23, 1938

No. 646]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2016/BHADRA 23, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2016

सा.का.नि. 884(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (लेखाओं का वार्षिक विवरण के प्ररूप) नियम, 2016 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं।

3. उचित लेखाओं और अभिलेखों का रख-रखाव.— (1) संस्थान अपने लेखाओं और अभिलेखों का वित्तीय विवरण इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में रखेगा।

(2) संस्थान, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करके वित्तीय विवरण रखने में केन्द्रीय सरकार के सामान्य निदेशों का पालन करेगा।

4. **संस्थान के लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार और सुपुर्द करना.**— (1) संस्थान अपने लेखाओं का वार्षिक विवरण और तुलनपत्र वित्तीय परिणाम दर्शित करते हुए इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची और विनिर्दिष्ट प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' के अनुसार तैयार करेगा।

(2) प्रत्येक वर्ष, अपश्चात् 31 जुलाई, संस्थान के वार्षिक लेखाओं का विवरण और तुलनपत्र निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित और शासी परिषद् द्वारा पारित भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) निदेशक द्वारा उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुगामी वर्ष के 30 सितंबर तक प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष करने के लिए अग्रेषित करेगा।

(4) लेखाओं के बहीखाते दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर रखे जाएंगे।

5. **केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोषों का अलग बही खाता.**—केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोष के लिए संस्थान अलग बही खाता रखेगा और संस्थान ऐसे अनुदान उचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए लेखाओं का बही खाता रखेगा।

प्ररूप 'क'

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तुलनपत्र, 31 मार्च _____ की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	अनुसूची	31.03._____	31.03._____
पूँजी निधि और दायित्व			
पूँजीगत	1.		
मूल्यहास निधि:	6.		
निर्धारित धनराशि:	2.		
अनुदान और अभिदान:	3.		
नए एनआईडी के लिए अनुदान	4.		
वर्तमान दायित्व:	5.		
कुल		0	0
संपत्ति			
अचल संपत्ति: (कीमत पर)	6.		
निवेश: (कीमत पर)	7.		
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि.:	8.		
आय और व्यय खाता	9.		
कुल		0	0

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां

17

स्थान:

तारीख:

निदेशक

प्ररूप 'ख'

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

31 मार्च को समाप्त के लिए व्यय लेखा _____

(रकम रुपए में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
फीस:	10.		
सेवा प्रभार:	11.		
अनुदान:	12.		
अर्जित ब्याज:	13.		
अन्य आय:			
पूंजीगत निधि से स्थानांतरित मूल्यहास की हद तक:	1.		
कुल (क)		0	0
व्यय			
स्थापन व्यय:	14.		
अन्य प्रशासनिक व्यय:	15.		
परियोजनाओं पर खर्च:	11.		
ब्याज / बैंक प्रभार:			
मूल्यहास: (संदर्भ टिप्पण संख्या 1ड.)	6.		
विनिर्दिष्ट निधियों को अंतरित रकम:	16.		
कुल (ख)		0	0
घाटा होने के कारण तुलनपत्र को अग्रणीत (क-ख)	9.		

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां -17

स्थान: _____

तारीख: _____

निदेशक

अनुसूची 1

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची
पूँजीगत निधि

व्योरे	31.03._____	31.03._____
	रूपए	रूपए
क. पूँजीगत निधि 1-4 -----को अतिशेष		
क. जोड़ें: 1) अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थानान्तरित अनुदान राशि खाता		
ii) निर्माण खाते के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए विनियोग निधि से स्थानान्तरित राशि		
iii) अनावर्ती व्यय के लिए अनुदान से अधिक की लागत से अधिक के कारण आय और व्यय लेखा से स्थानान्तरित राशि ।		
ख. कम: संपत्ति पर मूल्यहास के विस्तार तक आय और व्यय लेखा में स्थानान्तरित पूँजीगत निधियों से अर्जित	0	0
ग. कम: वर्ष के दौरान विक्रीत/त्यक्त मशीनरी, उपस्कर और फर्नीचर के मूल्य का समायोजन		
उप-कुल (क)	0	0
• आरक्षित भूमि 1-4 -----को अतिशेष		
कुल (क + ख)	0	0

निदेशक

अनुसूची 2
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची
निर्धारित निधियां

क्रम संख्या	निधियों का नाम	तारीख 01.04.... को आरंभिक अतिशेष रूपए	जमा किया गया व्याज रूपए	अन्य जमा रूपए	विकलित रकम रूपए	संदर्भ टिप्पण रूपए	तारीख 31.03----- को अंतिम अतिशेष रूपए
	कुल योग	0	0	0	0	0	0
	पिछला वर्ष						

निदेशक

अनुसूची - 3

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अनुदान और अभिदाय

क्रम संख्या	लेखा नाम	तारीख 01.04 को आरंभिक अतिशेष	जमा किया गया अनुदान	विकलित रकम			संदर्भ टिप्पण	31.03--- को अंतिम अतिशेष
				अनावर्ती व्यय	आय और व्यय लेखा को अंतरित	अन्य विकलित		
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए		रूपए
	कुल	0	0	0	0	0		0
	पूर्ववर्ती वर्ष							

निदेशक

अनुसूची - 4

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

नए एनआईडी के लिए अनुदान

क्रम संख्या	लेखा का नाम	31.03--- तक जमा अनुदान	31.03--- तक उपयोग किए गए अनुदान	01.04-- तक आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान जमा अनुदान	कुल	विकलित रकम			31.03- को अंतिम अतिशेष
							अनावर्ती व्यय	विनिर्माण कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी/ एनबीसीसीको अंतरित	अन्य विकलित	
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
	राष्ट्रीय डिजाइन नीति के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुदान योजना (अनावर्ती): नए एनआईडी परिसर स्थापित करना									
1.	जोरहाट									
2.	हैदराबाद									
3.	भोपाल									
4.	कुरुक्षेत्र									
5.	विजयवाड़ा और अन्य परिसर									
	कुल									
	पूर्ववर्ती वर्ष									

निदेशक

अनुसूची-5

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान दायित्व

व्योरे	31.03._____	31.03._____
	रूपए	रूपए
1. व्ययों के लिए		
2. किराया और अन्य जमाओं के लिए		
.3 विविध जमा अतिशेष के लिए		
4. जारी परियोजनाओं के लिए अग्रिम		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-6
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

क्रम संख्या	व्यौरे	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक	
		01.04_ को	जोड़	विक्रय / समायोजन	31.03_ को	01.04_ को	वर्ष के लिए	विक्रय / समायोजन	31.03_ को	31.03_ को	31.03_ को
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
क.	स्थावर सम्पत्तियां										
1.	(I) भूमि										
	1 का उप कुल										
2.	एनआईडी परिसर के भवन										
	(1 + 2) का उप-कुल										
ख.	चल संपत्तियां										
1.	मशीनरी, उपस्कर और औजार										
2.	फर्नीचर और फिक्सचर										
3.	कंप्यूटर और पैरीफैरल्स										
4.	स्टाफ पूल यान										
5.	पुस्तकालय पुस्तकें										
	ख के उप कुल										
ग.	जारी पूंजीगत कार्य										
	ग के उप कुल										
	कुल योग										
	पूर्ववर्ती वर्ष										

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

स्थिर आस्तियां

निदेशक

अनुसूची-7
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

निवेश (लागत पर)

व्योरे	31.03.____	31.03.____
दीर्घकालिक	रूपए	रूपए
बांड्स के साथ स्थिर जमा		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची -8

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान
तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

व्योरे	31.03.____	31.03.____
	रूपए	रूपए
क. वर्तमान आस्तियां:		
i) संपत्ति सूची: सिविल और पूंजीगत माल (लागत पर)		
ii) नकद अतिशेष		
iii) बैंक अतिशेष		
क) चालू खाते के साथ		
उप-कुल (क)		
ख) बचत खाते में		
उप-कुल (ख)		
उप-कुल (क) + (ख)		
ग) कॉल / सावधि जमा खाते में		
उप-कुल (ग)		
उप कुल - III (क + ख + ग)		
कुल (I + II + III)		

अनुसूची -8
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची
मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि ...

व्यौरे	31.03.____	31.03.____
	रूपए	रूपए
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
i. ऋण:		
क. प्रतिभूत		
(क) का उप-कुल		
ख. अप्रतिभूत		
उप-कुल (i)		
ii. अग्रिम:		
उप-कुल (ii)		
उप-कुल (iii)		
ख के कुल (I + II + III)		
क + ख का कुल		

अनुसूची-9
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान
तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आय और व्यय लेखा

व्यौरे	31.03.____	31.03.____
	रूपए	रूपए
01.04 -----को अतिशेष		
कम: एनआईडी के स्वयं के आय का व्यौरा		
जोड़ें: चालू वर्ष के घाटे (आवर्ती योजना)		
कम: मौजूदा वर्ष के अधिशेष (गैर-योजना आवर्ती)		
घाटे के बाद का अतिशेष		

अनुसूची-10
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

फीस

व्यौरे	20__- ____	20__- ____
	रूपए	रूपए
कुल		

निदेशक

अनुसूची-11
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान
तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

परियोजना से आय प्राप्त / अनुदान (गैर योजना) और परियोजनाओं से व्यय (गैर योजना) 20__-20__

व्यौरे	20__-20__		20__-20__	
	परियोजना व्यय	परियोजना प्राप्तियां	परियोजना व्यय	परियोजना प्राप्तियां
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
कुल				

निदेशक

अनुसूची-12

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अनुदान और अभिदाय से अंतरण

व्यौरे	20___ - ___	20___ - ___
	रूपए	रूपए
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-13

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अर्जित ब्याज

व्यौरे	20__-__	20__-__
(सीधे निर्धारित धनराशि में जमा के अतिरिक्त)	रूपए	रूपए
क) सावधिक जमा पर		
उप-कुल (क)	0	0
ख) बचत/चालू खाता पर		
ग) ऋणों पर		
उप-कुल (सी)	0	0
क + ख + ग के कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-14

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

स्थापन खर्च

					20__-__	20__-__
व्यौरे	गैर-योजना आवर्ती खर्च	योजना आवर्ती खर्च			कुल	गैर- योजना और योजना आवर्ती खर्च का कुल
		अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. वेतन, मजदूरी और भत्ते						
2. भविष्य निधि अंशदान						
3 अंशदान योगदान						
4. मेडिकल प्रतिपूर्ति और कर्मचारिवृंद कल्याण						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-15
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

अन्य प्रशासनिक खर्च

					20__ -	20__ -
					___	___
व्यौरे	गैर-योजना आवर्ती खर्च	योजना आवर्ती खर्च			कुल	गैर-योजना और योजना के आवर्ती खर्च का कुल
		अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. यात्रा खर्च						
2. टेलीफोन, टेलेक्स, डाक						
3. बिजली खर्च						
4. रखरखाव: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स						
5. वाहन रखरखाव और ऑपरेशन शुल्क						
6. सामग्री, आपूर्ति उपभोग्य आदि						
7. सैटेलाइट केन्द्रों के लिए साधारण खर्च						
8. विज्ञापन एवं प्रचार व्यय						
9. कल्याण, परिसर में आयोजित इवेंट और अन्य व्यय						
10. पुस्तकालय, पत्रिकाओं, आवधिक, सदस्यता आदि						
11. छात्र फ्रीशिप एवं विकास						
12. शिक्षक, कर्मचारियों मानव संसाधन विकास, अन्य विविध व्यय						
13. दरें, कर, उपकर						
14. मरम्मत और रख रखाव						
15. बीमा						
16. विधिक खर्च और व्यावसायिक फीस						
17. लेखा परीक्षा फीस						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-16

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च,को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आरक्षित या विशिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि

व्यौरे	20__-__	20__-__
	रूपए	रूपए
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-17

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

31 मार्च को समाप्तवर्ष के लिए तुलनपत्र और आय और व्यय खाता अनुसूची _____

लेखा के भागरूप में टिप्पण

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

(क) लेखा कन्वेंशन:

वित्तीय कथन, ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के आधार पर तैयार किए गए हैं, जब तक अन्यथा कही गई हो और व्याज आय और विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टी के प्रति दायित्व के अलावा उपार्जन पद्धति पर लेखांकन की गई है।

(ख) विनिधान:

(ग) लंबी अवधि के विनिधान लागत पर कथन की गई है।

स्थावर संपत्तियां:

स्थावर संपत्तियां लागत से कथन की गई है। लागत में चालान मूल्य, माल ढुलाई, चुंगी, और अधिग्रहण से संबंधित अन्य आकस्मिक व्यय भी शामिल है।

(घ) सरकारी अनुदान:

(i) सरकारी अनुदान सरकारी विभाग से मंजूरी के आधार पर लेखांकित है।

(ii) पूंजीगत व्यय की ओर उपयोग करने के लिए सरकारी अनुदान, पूंजी निधि के लिए स्थानांतरित किए गए हैं।

(iii) राजस्व व्यय को प्राप्त करने के लिए सरकारी अनुदान व्यय की सीमा तक खर्च करने के लिए वर्ष की आय के रूप में माना जाता है।

(iv) उपयोग किए गए अनुदान आगे अग्रेषित होता है और तुलनपत्र में एक ऋण के रूप में प्रदर्शित होता है।

(ङ.) विदेशी मुद्रा लेनदेन:

विदेशी मुद्रा में हुए लेनदेन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर आधारित होता है। बैंक बैलेंस विदेशी मुद्रा में धारित आरबीआई दर पर वित्तीय वर्ष के समापन के दिन प्रचलित दर से रुपया में बदल जाती है।

(च) चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम में कम से कम तुलनपत्र में दिखाया कुल रकम के बराबर व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम एक मूल्य है।

(छ) आय-कर:

संस्थान की आय को आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत छूट प्राप्त है। आय-कर के लिए कोई उपबंध इसलिए खातों में नहीं दिया गया है।

(ज) सेवानिवृत्ति / टर्मिनल लाभ

कर्मचारियों के लिए टर्मिनल छुट्टी नकदीकरण लाभ नकदी के आधार पर आधारित है। ग्रेच्युटी आधार बीमांकिक मूल्यांकन पर आय एवं व्यय ए / सी के लिए शुल्क लिया जाता है और एक ही एनआईडी कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि में योगदान देता है।

2. आकस्मिक देयताएं रुपए _____ (पिछले वर्ष रुपए _____)

3. पूंजी खाते पर शेष अनुबंध की अनुमानित राशि निष्पादित की जाती है और रुपये के लिए प्रदान नहीं गई है। _____ पिछले वर्ष रुपए _____)

4. वर्ष के लिए घाटा _____ रुपए के लिए वर्ष के लिए _____ रुपए _____) विविध खर्चों में डेबिट कर दिया गया है, क्योंकि उसी वर्ष के दौरान कोई विशिष्ट सरकार अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई है।

5. पिछले वर्ष के लिए इसी आंकड़े को फिर से पुनःसमूहबद्ध / पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है, जहां कहीं आवश्यक है।

6. अंतिम खातों में आंकड़े निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

स्थान: _____

तारीख: _____

[फा. सं. 5/11/2016-आईपीआर-V]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2016

G.S.R. 884(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 38 read with sub-section (1) of section 25 of the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Institute of Design (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) 'Act' means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014);

(b) 'Form' means Form annexed to these rules;

(c) 'Schedule' means the Schedule annexed to these rules;

(d) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Maintenance of proper accounts and records.—(1) The Institute shall maintain its accounts and records in the Form of financial statements annexed to these rules.

(2) The Institute shall follow the general directions by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India in maintaining the financial statements.

4. Preparation and submission of annual statement of accounts of the Institute.— (1) The Institute shall prepare its annual statement of accounts and balance sheet showing the financial results as specified in Form 'A' and Form 'B' and the Schedules annexed to these rules. (2) The annual statement of accounts and balance sheet of the Institute, duly authenticated by the Director and passed by the Governing Council shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India, not later than the 31st July every year.

(3) The duly audited annual statement of accounts of the Institute as certified by the Comptroller and Auditor General of India together with the audit report thereon shall be forwarded by the Director for every financial year to the Central Government by the 30th September of the following year for laying before the both Houses of Parliament.

(4) The books of Accounts will be maintained on the basis of double entry book keeping system.

5. Separate ledger accounts for funds received from the Government of India.—The Institute shall maintain separate ledger accounts for all funds received from the Government of India and maintain accounts of the Institute regarding proper utilisation of such grants.

Form 'A'
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, _____

(Amount in Rs.)

	SCHEDULE	31.03. _____	31.03. _____
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CAPITAL FUND:	1		
DEPRECIATION FUND:	6		
EARMARKED FUNDS:	2		
GRANTS AND CONTRIBUTIONS:	3		
GRANTS FOR NEW NIDs	4		
CURRENT LIABILITIES:	5		
TOTAL		0	0
ASSETS			
FIXED ASSETS: (At Cost)	6		
INVESTMENTS: (At Cost)	7		
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.:	8		
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	9		
TOTAL		0	0

For NOTES forming part of Accounts

17

Place: _____

Date: _____

Director

Form 'B'
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, _____

(Amount in Rs.)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
FEES:	10		
SERVICE CHARGES:	11		
GRANTS:	12		
INTEREST EARNED:	13		
OTHER INCOME:			
TRANSFERRED FROM CAPITAL FUND TO THE EXTENT OF DEPRECIATION:	1		
TOTAL (A)		0	0
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES:	14		
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES:	15		
EXPENSES ON PROJECTS:	11		
INTEREST/BANK CHARGES:			
DEPRECIATION: (Ref. Note no. 1e)	6		
AMOUNT TRANSFERRED TO SPECIFIC FUNDS:	16		
TOTAL (B)		0	0
BALANCE BEING DEFICIT CARRIED OVER TO BALANCE SHEET (A-B)	9		

For NOTES forming part of Accounts, see Schedule - 17

Place: _____

Date: _____

Director

SCHEDULE -1
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _____

CAPITAL FUND

Particulars	31.03._____	31.03._____
	Rs.	Rs.
a. Capital Fund Balance as on 1-4-_____		
a. Add: i) Amount transferred from Central Govt. Grants Account for meeting Non-recurring expenditure		
ii) Amount transferred from Appropriation of fund for Building under construction Account		
iii) Amount transferred from Income & Expenditure A/c. on account of excess of cost over grant for Non-Recurring Expenditure		
b. Less: Transferred to Income & Expenditure Account to the extent of depreciation on assets acquired out of Capital Funds	0	0
c. Less: Adjustment of the value of Machinery, Equipment & Furniture sold/discard during the year.		
Sub-Total (a.)	0	0
b. Land Reserve Balance as on 1-4-_____		
Total (a+b)	0	0

Director

SCHEDULE-2

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _____

EARMARKED FUNDS

Sr. No.	Name of funds	Opening balance as on 01.04.____	Interest credited	Other credited	Amount debited	Ref. Note	Closing balance as on 31.03.____
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.
	Grand total	0	0	0	0	0	0
	Previous year						

Director

SCHEDULE-3

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the balance Sheet as at 31st March, _____

GRANTS AND CONTRIBUTIONS

Sr. No.	Name of account	Opening balance as on 01.04.____	Grant credited	Amount debited			Ref. Note	Closing Balance As on 31.03.____
				Non recurring Exps	Transferred to I & E A/c.	Other debited		
				Rs.	Rs.	Rs.		
	Total	0	0	0	0	0	0	
	Previous year							

Director

SCHEDULE-4

[See sub-rule 1 of rule 4]

**NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament**Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _____**GRANTS FOR NEW NIDs**

Sr. No.	Name of account	Grant credited up to 31.03._____	Grant utilised up to 31.03._____	Opening balance as on 01.04._____	Grant credited during the year	Total	Amount debited			Closing balance As on 31.03._____	
							Non-recurring Exps	Transferred to CPWD/NBCC for Const. work	Other debited		
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
	Central Govt. Grant Plan (non-recurring) for implementation of national Design Policy: Setting up of new NID campuses at										
1	Jorhat										
2	Hyderabad										
3	Bhopal										
4	Kurukshetra										
5	Vijayawada & Other campuses										
	Total										
	Previous year										

Director

SCHEDULE-5

[See sub-rule 1 of rule 4]

**NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament**Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _____**Current Liabilities**

Particulars	31.03._____	31.03._____
	Rs.	Rs.
1. For expenses		
2. For rent & other deposits		
3. For sundry credit balances		
4. For advance for projects in progress		
Total	0	0

Director

SCHEDULE-6

[See sub-rule 1 of rule 4]

**NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament**Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _____

Fixed Assets

Sr. No.	Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		As on 01.04.____	Addition	Sale/Adjustment	As on 31.03.____	As on 01.04.____	For the Year	Sale/Adjustment	As on 31.03.____	As on 31.03.____	As on 31.03.____
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
A	IMMOVABLE PROPERTIES										
1	(i) Land										
	Sub-total of 1										
2	NID campus buildings										
	Sub-total of (1+2)										
B	MOVABLE PROPERTIES										
1	Machinery, equipment & tools										
2	Furniture & fixtures										
3	Computers & peripherals										
4	Staff pool vehicles										
5	Library books										
	Sub-Total of B										
C	Capital works in progress										
	Sub-Total of C										
	Grand Total										
	PREVIOUS YEAR										

Director

SCHEDULE-7

[See sub-rule 1 of rule 4]

**NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament**Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _____

Investments (At cost)

Particulars	31.03.____	31.03.____
Long Term	Rs.	Rs.
Fixed Deposits with		
Bonds		
TOTAL	0	0

Director

SCHEDULE-8

[See sub-rule 1 of rule 4]

**NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament**Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _____

Current Assets, Loans, Advances etc.

Particulars	31.03.____	31.03.____
	Rs.	Rs.
A. CURRENT ASSETS:		
i) INVENTORIES: Civil and Capital Materials (At Cost)		
ii) CASH BALANCES ON HAND		
iii) BANK BALANCES		
a) In Current account with		
Sub-Total (a)		
b) In Saving account with		
Sub-Total (b)		
Sub-Total (a)+(b)		
c) In Call/Term Deposit account with		
Sub-Total (c)		
Sub-Total – III (a+b+c)		
Total (I+II+III)		

SCHEDULE-8

[See sub-rule 1 of rule 4]

**NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament**Schedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _____

Current Assets, Loans, Advances etc.

Particulars	31.03.____	31.03.____
	Rs.	Rs.
B. LOAN, ADVANCES AND OTHER ASSETS:		
i. Loans:		
a. Secured		
Sub-Total of (a)		
b. Unsecured		
Sub-Total (i)		
ii. Advances:		
Sub-Total (ii)		
Sub-Total (III)		
TOTAL of B (I+II+III)		
TOTAL OF A+B		

SCHEDULE-9

[See sub-rule 1 of rule 4]

**NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament**Schedule forming part of the balance Sheet as at 31st March, _____

Income and Expenditure Account

Particulars	31.03.____	31.03.____
	Rs.	Rs.
Balance as on 01.04.____		
Less: Met from NID's own Income		
Add: Current year's deficit (Plan Recurring)		
Less: Current year's surplus (Non-Plan Recurring)		
Deficit carried over to Balance Sheet		

Director

SCHEDULE-10

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of ParliamentSchedule forming part of the Balance Sheet as at 31st March, _____

Fees

Particulars	20__ - ____	20__ - ____
	Rs.	Rs.
Total		

Director

SCHEDULE-11

[See sub-rule 1 of rule 4]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of ParliamentSchedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _____

Income from Project receipts/Grants(Non plan) & expenses from projects (Non Plan) 20__ -20__

Particulars	20 - 20		20 - 20	
	Project Expenses	Project Receipts	Project Expenses	Project Receipts
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Total				

Director

SCHEDULE-12

[See sub-rule 1 of rule 4]

**NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament**Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _____

Transfers from Grants & Contributions

Particulars	20-- --	20-- --
	Rs.	Rs.
Total	0	0

Director

SCHEDULE-13

[See sub-rule 1 of rule 4]

**NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament**Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _____

Interest earned

Particulars	20-- --	20-- --
(Other than directly credited to earmarked funds)	Rs.	Rs.
A) On term deposit		
Sub-Total (A)	0	0
B) On Saving/Current accounts		
C) On Loans		
Sub-Total (C)	0	0
Total of A+B+C	0	0

Director

SCHEDULE-14
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _____

Establishment expenses

Particulars	Non-Plan recurring expenses	Plan recurring expenses			20 - -	20 - -
		R & D	Other	Total	Total	Total of Non-Plan and Plan recurring expenses
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Salaries, wages & allowances						
2. Provident fund contribution						
3. Gratuity contribution						
4. Medical reim. & staff welfare						
Total	0	0	0	0	0	

Director

SCHEDULE-15
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament
 Other administrative expenses

Particulars	Non-Plan recurring expenses	Plan Recurring Expenses			20 - -	20 - -
		R & D	Other	Total	TOTAL	Total of Non-Plan and Plan recurring expenses
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Travelling expenses						
2. Telephone, Telex, Postage						
3. Electricity expenses						
4. Maintenance: Mechanical, Electrical, Electronics						
5. Vehicle maintenance & Operation charges						
6. Material, Supplies Consumables etc.						
7. General Expenses for Satellite Centres						
8. Advertisement & Publicity expenses						
9. Welfare, Campus events & Other expenses						
10. Library, Journals, Periodical, Subscription etc.						
11. Student Freeship & Development						
12. Faculty, Staff HRD, Other Misc. expenses						
13. Rates, Taxes, Cesses						
14. Repairs & Maintenance						
15. Insurance						
16. Legal expenses & Professional fees						
17. Audit fees						
Total	0	0	0	0	0	

Director

SCHEDULE-16
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of the Income and Expenditure for the year ended 31st March, _____

Amount transferred to Reserve or Specific fund

Particulars	20__ __	20__ __
	Rs.	Rs.
Total	0	0

Director

SCHEDULE-17
[See sub-rule 1 of rule 4]
NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, AHMEDABAD
Institute of National Importance by an Act of Parliament

Schedule forming part of balance sheet and income and expenditure account for the year ended 31stMarch, _____

Notes forming part of accounts

1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

a. ACCOUNTING CONVENTION:

The Financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting except for interest income and liability towards privileged leave.

b. INVESTMENTS:

Long Term Investments are stated at cost.

c. FIXED ASSETS:

Fixed Assets are stated at the cost. The cost includes invoice value, freight, octroi, and other incidental expenses relating acquisition.

d. GOVERNMENT GRANTS:

i. Government grants are accounted on the basis of sanction from Government Department.

ii. Government grant to the extent utilised towards capital expenditure, are transferred to the Capital Fund.

iii. Government grants for meeting Revenue expenditure are treated as income of the year to the extent of expenditure incurred.

iv. Utilized grants are carried forward and exhibited as a Liability in the balance Sheet

e. FOREIGN CURRENCY TRANSACTION:

Transaction denominated in foreign currency are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of transaction. The bank balance held in foreign currency is converted into Rupee at RBI rate prevailing on the closing day of the financial year.

f. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES:

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

g. INCOME TAX:

The income of the Institute is exempt under Income-tax Act 1961. No provision for Income Tax is therefore made in the accounts.

h. RETIREMENT/TERMINAL BENEFIT

Terminal leave encashment benefit to the employees is accounted for on cash basis. Gratuity is charged to Income &

Expenditure A/c on the basis Actuarial valuation and the same is contributed to the NID Employees' Gratuity Fund.

2. Contingent Liabilities Rs. _____ (Previous year Rs. _____)

3. Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for Rs. _____ Previous year Rs. _____)

4. Deficit for the year _____ of Rs. _____ For the year _____ Rs. _____) has been debited to misc. exps, as there is no specific govt. grant received for the same during the year.

5. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged where ever necessary.

6. Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.

Place : _____

Date: _____

[F. No. 5/11/2016-IPR-V]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.